दिनांक- 25.02.2026

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

!! सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करों के विरूद्ध बड़ी कार्यवाही !!

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कुल 20 ग्राम अवैध स्मैक (अनुमानित कीमत करीब 04 लाख रूपये) बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा परिक्षेत्र सहारनपुर में मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी,बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतू परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में **"ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"** अभियान चलाया जा रहा है जिसके अन्तर्गत नशा तस्करो के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करने हेतू आदेशित किया गया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपद मे अपराध नियन्त्रण, नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओ की तस्करी / बिक्री की रोकाथाम व इन गतिविधियो मे शामिल अपराधियो की गिरफ्तारी हेतू लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 25.02.2026 को थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा गस्त/चैकिंग के दौरान मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त **मेहरबान पुत्र इलियास निवासी ग्राम महेश्वरी कलाँ थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर** को ग्राम बहादरा से दबकौरा की तरफ जाने वाले रास्ते के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से कुल 20 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना चिलकाना पर मु0अ0स0 70/2026 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। । गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्क विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

मेहरबान पुत्र इलियास निवासी ग्राम महेश्वरी कलाँ थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

- 20 ग्राम अवैध स्मैक

गिरफ्तार अभियुक्त मेहरबान का आपराधिक इतिहास

मु0अ0सं0 18/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. थाना प्रभारी श्री विनोद कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री सुखबीर सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री रवि कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
4. का0 2549 जिम्मी सागर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 24.02.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहानरपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस द्वारा 01 शराब तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 30 पाउच (टेट्रा पैक) देशी शराब बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध शराब की खरीद, फरौख्त व तस्करी करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्वेक्षण में तथा थानाध्यक्ष थाना सरसावा श्री प्रवेश कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना सरसावा पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर दिनांक 24.02.2026 को अभियुक्त ***इदरीश उर्फ अदरीश पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम तीथपाल उर्फ तेलीपुरा थाना सरसावा सहारनपुर*** *को रायपुर रोड हाईवे पुल के नीचे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 30 पाउच (टेट्रा पैक) देशी शराब महबूबा मार्का उत्तर प्रदेश बरामद हुयी। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 057/2026 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

इदरीश उर्फ अदरीश पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम तीथपाल उर्फ तेलीपुरा थाना सरसावा सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

30 पाउच (टेट्रा पैक) देशी शराब महबूबा मार्का उत्तर प्रदेश

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. *उ0नि0 अतुल कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर*
2. *हे0का0 661 सम्राट सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर*
3. *हे0का0 24 सुनील कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर*

-प्रेस नोट-

दिनांकः 25-02-2026

थाना नकुड़ पुलिस द्वारा 01 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से 01 इन्वर्टर, 01 बैटरा व 5160/- रूपये नकद बरामद

अवगत कराना कि वादी श्री रोहित प्रधान पुत्र श्री चौ0 रफल सिह निवासी ग्रांम मुरादखेडी थाना नकुड जनपद सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की दुकान का शटर उखाड़ कर 20 हजार नकद, इन्वर्टर, बैटरा व डीवीआर चोरी कर लेना व दुकान के कैमरे तोड़ देने के सम्बन्ध में थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 61/26 धारा 331(4)/305(ए)/324(4) बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेते हुए घटना के शीघ्र अनवारण हेतु निर्देशित किया गया। जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना नकुड़ के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा गस्त चैकिंग के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्त ***मुबारिक पुत्र मतलूब निवासी ग्राम ताताहेडी थाना गंगोह जिला सहारनपुर*** *को ग्राम टिडौली से ग्राम बाईखेडी की और जाने वाले रास्ते पर बनी टयूवेल के पास से गिरफ्तार किया गया । जिसके कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित चोरी गया 01 माइक्रोटेक कम्पनी का इन्वर्टर, केबीएस पावर का 01 बैटरा व 5160/- रूपये नकद बरामद हुए । बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी । अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।*

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

मुबारिक पुत्र मतलूब निवासी ग्राम ताताहेडी थाना गंगोह जिला सहारनपुर ।

अभियुक्त मुबारिक का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 44/21 धारा 379/411 भादवि थाना गंगोह सहारनपुर ।
2. मु0अ0सं0 47/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना गंगोह सहारनपुर ।
3. मु0अ0सं0 453/21 धारा 414 भादवि थाना गंगोह सहारनपुर ।
4. मु0अ0सं0 263/23 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना गंगोह सहारनपुर ।
5. मु0अ0सं0 261/24 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना गंगोह सहारनपुर ।
6. मु0अ0सं0 71/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना गंगोह सहारनपुर ।
7. मु0अ0सं0 264/21 धारा 379, 411 भादवि थाना जनकपुरी सहारनपुर ।
8. मु0अ0स0 02/23 धारा 380, 411, 457 भादवि थाना नकुड सहारनपुर ।

बरामदगी का विवरणः

- *01 इन्वर्टर (माइक्रोटेक)*
- *01 बैटरा (केबीएस)*
- *5160/- रूपये नकद*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. *अतिरिक्त निरीक्षक श्री सुभाषचन्द्र थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर ।*
2. *उ0नि0 देवेन्द्र कुमार अधाना थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर ।*
3. *है0का0 464 प्रवेश थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर ।*
4. *है0का0 650 वरणकार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर ।*
5. *का0 2018 सन्दीप अधाना थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर,*

-प्रेस नोट-

दिनांक:25.02.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 25.02.2026 को थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा थाना मण्डी पर पंजीकृत ***मु0अ0स0 70/2026 धारा 191(3)/109(1) बीएनएस*** *में वांछित अभियुक्त* ***अरश गौर पुत्र स्व0 इन्तजार निवासी हसन कालोनी खाताखेडी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*** *को पुराना कलसिया रोड पर वाल्मिकी बस्ती से पहले कब्रिस्तान के गेट के पास से गिरफ्तार किया गया। दौराने गिरफ्तरी माननीय सवौच्च न्यायलय व मानवाधिकार के आदेशो निर्देशो का पालन किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अरश गौर पुत्र स्व0 इन्तजार निवासी हसन कालोनी खाताखेडी थाना मण्डी सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. *उ0नि0 राहुल कुमार थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर।*
2. *है0 का0 552 हरेन्द्र कुमार थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर।*

-प्रेस नोट-

दिनांकः25.02.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा दहेज हत्या के मुकदमे में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 25.02.2026 को थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा थाना मण्डी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 47/2026 धारा 80(2)85/115(2)/3(5) बीएनएस व 3/4 दहेज अधिनियम के वांछित अभियुक्त ***सावंरिया पुत्र सुरेश निवासी सुपर विहार कालोनी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर स्थायी पता ग्राम फुलत थाना रतनपुरी जनपद मुजफ्फरनगर*** *को मातागढ की पुलिया से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सावंरिया पुत्र सुरेश निवासी सुपर विहार कालोनी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर स्थायी पता ग्राम फुलत थाना रतनपुरी जनपद मुजफ्फरनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री निर्मल कुमार थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर।
2. का0 1761 संदीप कुमार थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर।
3. का0 2278 विष्णु कुमार थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः25.02.2026

!! सहारनपुर पुलिस की नशे के विरूद्ध कार्यवाही !!

थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा अवैध शराब की तस्करी करने वाला 01 नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 12 बोतल अवैध देशी शराब बरामद

अवगत कराना है कि पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध शराब की तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार में संलिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाकर कडी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 25.02.2026 को चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/ वाहन व गस्त के दौरान शराब की तस्करी/बिक्री करने वाले एक अभियुक्त ***मुन्ना पुत्र नौशाद निवासी ग्राम दौलतपुर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर*** *को टोडरपुर से दबकौरा जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से कुल 12 बोतल अवैध देशी शराब (हरियाणा मार्का) बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थना चिलकाना पर मु0अ0सं0 71/2026 धारा 63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किय गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

मुन्ना पुत्र नौशाद नि0 ग्राम दौलतपुर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- *12 बोतल अवैध देशी शराब हरियाणा राज्य की माल्टा मार्का*

गिरफ्तार करने वाली टीम:

1- उ0नि0 श्री सुखबीर सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

2- है0का0 157 सन्दीप कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

3- का0 1815 विशाल यादव थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 25.02.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट पुलिस द्वारा चोरी के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 06.01.2026 को वादी सौरव राजदेव पुत्र श्री किशनलाल सिंह राजदेव निवासी जगादरी हरियाणा की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा गाडी न0 UP15ET 8796 (महेन्द्रा) के द्वारा वादी के बाग से यूकेलिप्सटिक के 06 काटर चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध मे थाना बेहट पर मु0अ0स0 16/2026 अन्तर्गत 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचना के आधार पर अभियुक्तगण 1.अर्जुन सैनी पुत्र करन सिंह निवासी ग्राम मरवा थाना बेहट जनपद सहारनपुर 2.सैन्टी पुत्र धर्मसिंह निवासी ग्राम मीरगढ थाना बेहट जनपद सहारनपुर 3.नीटू पुत्र फूल सिंह निवासी ग्राम मीरगढ थाना बेहट जनपद सहारनपुर के नाम प्रकाश मे आये।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 25.02.26 को थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त ***सैन्टी पुत्र धर्मसिंह निवासी ग्राम मीरगढ थाना बेहट जनपद सहारनपुर*** *को ग्राम मीरगढ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सैन्टी पुत्र धर्मसिंह निवासी ग्राम मीरगढ थाना बेहट जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री धीरज सिंह थाना बेहट जनपद सहारनपुर।

2. है0का0 1058 राहुल राणा थाना बेहट जनपद सहारनपुर।

3. का0 71 ब्रजवीर राणा थाना बेहट जनपद सहारनपुर।